

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर 2014—कार्तिक 29, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

अधि. क्र. 109 एफ 1-30-2012-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय क्षेत्रों को भोपाल नगर की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने का आशय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई, 2014 को प्रकाशित किया गया था.

और, यतः, कलक्टर को प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर राज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 405 की उपधारा (2) के अधीन विचार कर लिया गया.

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों को भोपाल नगर की सीमाओं में सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:—

#### अनुसूची-एक

भोपाल नगर की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र/ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक	नगरीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किए जाने वाले ग्रामों के नाम (संपूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	घोषित किए जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगरपालिका, कोलार का संपूर्ण क्षेत्रफल.	वार्डों के वर्तमान परिसीमन के अनुसार वार्ड क्रमांक 1 से 25	हुजूर	5017.610

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	रापड़िया	(1) रापड़िया (2) कटारा (3) बर्राई (4) बगली	हुजूर	459.960 415.620 449.530 215.810
3.	कोलूखेड़ी	(5) कोलूखेड़ी	हुजूर	486.600
4.	छान	(6) छान (7) मक्सी (8) पिपलियाकुंजनगढ़ (9) भैरोपुरा	हुजूर	303.610 148.519 163.980 228.440
5.	भौरी	(10) भौरी (11) जमोनिया छीर (12) मीरपुर (वीरान)	हुजूर	1484.600 244.230 216.110
6.	दीपड़ी	(13) दीपड़ी (14) समरधा कलियासोत	हुजूर	522.070 324.610
7.	रतनपुर सड़क	(15) रतनपुर सड़क (16) नरेला हनुमंत (17) बिलखिरिया खुर्द (18) गुराड़ीघाट	हुजूर	522.970 276.610 163.350 284.160
8.	नीलबड़	(19) नीलबड़	हुजूर	284.140
9.	लांबाखेड़ा	(20) लांबाखेड़ा	हुजूर	540.450
				योग . . 12752.979 हेक्टेयर

### अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची-एक में विहित क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात् भोपाल नगर की पुनरीक्षित सीमा निम्नानुसार है :—

**उत्तर में**—ग्राम परवलिया सड़क, बरखेड़ा बोदर, मुबारकपुर, कुराना, डोबरा, बिसनखेड़ी, परेवाखेड़ा, अरवलिया, इस्लामनगर, मोहम्मद नगर उर्फ सत्तीखेड़ी, देवलखेड़ी, पुरामन भावन, पिपलिया बाजखॉ, घाटखेड़ी, चोपड़ा कलां की दक्षिणी सीमा.

**दक्षिण में**—ग्राम बोरदा, थुआखेड़ा, पिपलिया बेरखेड़ी, अमरावत कलां, भोजनगर, कोड़ी, खड़बमूलिया, पिपलिया रानी की उत्तरी सीमा.

**पूर्व में**—ग्राम सेवनिया ओंकारा, अरेड़ी, कानासैया, आदमपुर छावनी, सागोनी कलां, डोबरा जागीर, चोर सागोनी, बासिया, अमझेरा, झागरिया खुर्द, बगरौदा, बंगरसिया की पश्चिमी सीमा.

**पश्चिम में**—ग्राम नीलबड़, बरखेड़ा सालम, बकानिया, ईटखेड़ी छाप, लखापुर, मुंगालिया छाप, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, बेरखेड़ी बाज्याप्त, मेंडोरी, मेंडोरा, महुआखेड़ा, केकड़िया भानपुर की पूर्वी सीमा.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र. 109 एफ 1-30-2012-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 109 एफ 1-30-2012-अठारह-3, दिनांक 20 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 20th November 2014

Not. No. 109-F-1-30-2012-XVIII-3.—WHEREAS, the intention to include the certain areas within the limits of Bhopal Town was published in the Madhya Pradesh Gazette on 18th July, 2014 under sub-section (1) of Section 405 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

AND, WHEREAS, the Governor has considered the objections submitted to the Collector under sub-section (2) of Section 405 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 405 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the area as specified in Schedule-I given below within the limits of Bhopal Town, namely:—

SCHEDULE-1

The area of the villages to be included within the limits of Bhopal Town shall be as follows:—

S.N.	Name of the urban Area/Gram Panchayat to be included	Name of the Villages to be included (Whole Revenue village)	Tehsil	Area (In Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Whole area of Nagar Palika, Kolar.	Ward No. 1 to 25 as per latest delimitation of Wards.	Huzur	5017.610
2.	Rapadia	1. Rapadia 2. Katara 3. Barrai 4. Bagli	Huzur	459.960 415.620 449.530 215.810
3.	Kolukheri	5. Kolukheris	Huzur	486.600
4.	Chhan	6. Chhan 7. Maksi 8. Pipila Kunjangerh 9. Bhairapura	Huzur	303.610 148.519 163.980 228.440
5.	Bhouri	10. Bhouri 11. Jamonia Chheer 12. Meerpur (Viran)	Huzur	1484.600 244.230 216.110
6.	Dipri	13. Dipri 14. Samardha Kaliasot	Huzur	522.070 324.610

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Ratanpur Sadak	15. Ratanpur Sadak	Huzur	522.970
		16. Narela-Hanumant		276.610
		17. Bilkhiriya Khurd		163.350
		18. Guradighat		284.160
8.	Neelbad	19. Neelbad	Huzur	284.140
9.	Lambakhera	20. Lambakhera	Huzur	540.450
				Total . . 12752.979 Hectares

#### SCHEDULE-2

The revised boundary of Bhopal Town after including the area prescribed in Schedule-1 as follows:—

**In the North**—Gram Parwalia Sadak, Barkhera Bodar, Mubarakpur, Kurana, Dobra, Bishankheri, Parevakheda, Arwalia Islamnagar, Mohammednagar urf Sattikheda, Devalkhedi, Puraman Bhawan, Pipliya Baazkhan, Ghatkhedi, Southern boundary of Chopra Kalan.

**In the South**—Gram Borda, Thuwakhera, Pipaliya Berkhedhi, Amrawat Kalan, Bhojnagar, Kodi, Khadmulia, Northern boundary of Piplia Rani.

**In the East**—Gram Sevaniya Onkara, Arhedi, Kanha Saiya, Adampur Chhawani, Sagoani Kala, Dobra Jagir, Chor Sagoani, Basiya, Amjhera, Jhagaria Khurd, Bagroda, western boundary of Bangrasia.

**In the West**—Gram Neelbad, Barkhera Salam, Bakania, Itkhedi Chhap, Lakhapur, Mungalia Chhap, Barakhera Nathu, Kalkheda, Bairkhedi Bajyafat, Mendori, Mandora, Mahuakheda, Eastern boundary of Kekdiya Bhanpur.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Dy. Secy.